न्यायालय सब जज, कहलगाँव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :– अमित कुमार शर्मा

दीवानी वाद संख्या 01/2016

06.09.2022 **मो0 युसुफ बनाम मो0 हमीद अंसारी**

आदेश

उभय पक्ष की हाजरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उभय पक्ष को प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 21.05.2022 व वादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 27.06.2022 पर सुना।

संक्षेप में आवेदक प्रतिवादी का कथन यह है कि प्रतिवादी इस वाद में दिनांक 12.01.2018 को उपस्थित हो चुके थे, परन्तु कोरोना महामारी व प्रतिवादी के अधिवक्ता की लापरवाही के चलते इस वाद में प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन दाखिल नहीं किया जा सका है। जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता को लिखित कथन से संबंधित सभी जानकारियां व दस्तावेज दे दिये गये थे। जब प्रतिवादी को इस बात की जानकारी हुई कि उनके विरूद्ध यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के अन्तर्गत चल रहा है। तब प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.06.2022 को लिखित कथन दाखिल करते हुए परिसीमा अधिनियम 5 के अन्तर्गत विलंब माफी हेतु आवेदन भी दिया गया है। इस आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि आदेश दिनांक 21.04.2018 को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण का लिखित कथन स्वीकार किया जाये व प्रतिवादी को वाद में ससंघर्ष करने का मौका दिया जाये।

वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में प्रतिवादी के आवेदन का घोर विरोध करते हुए यह कथन किया है कि इस वाद में प्रतिवादी गजट प्रकाशन के बाद उपस्थित हुए थे। वादी द्वारा इस वाद मे कई गवाही भी प्रस्तुत भी की जा चुकी हैं। प्रतिवादी को इस वाद की पूरी जानकारी थी। अतः प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जाये।

अभिलेख के अवलोकन व पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह न्यायालय यह पाती है कि इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा इस वाद में बहुत ज्यादा लापरवाही की गयी है। परन्तु यह भी उतना ही स्पष्ट तथ्य है कि वाद के उचित न्याय निर्णय हेतु प्रतिवादी को संघर्ष का मौका देना आवश्यक है जहां तक वादी को इस वाद में कठिनाई का प्रश्न है तो उचित शुल्क लगाकर वादी का हुई कठिनाई को कम किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन 5000/रु0 खर्चा पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी खर्चे की रकम वादी को देंगे। यह आदेश तभी प्रभावी होगा जब खर्चे की रकम वादी को दे दी जाएगी। इस के आलावा प्रतिवादी अगर वादी के किसी भी साक्षी का

प्रतिपरीक्षण कराना चाहते हैं तो उनको इसके संबंध में अलग से आवेदन देना होगा। इसी आदेश के साथ इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21.04.2018 वापस लिया जाता है। प्रतिवादी का लिखित कथन स्वीकार किया जाता है व विलंब को माफ किया जाता है। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश तभी प्रभावी होगा जबकि प्रतिवादी खर्चे की रकम वादी को दे देंगें।

वाद दिनांक 11.11.2022 अग्रिम कार्रवाई हेतु।

अवर न्यायाधीश
कहलगॉव